कार्यालयः जिला कलेक्टर, लखनऊ।

पत्रांकः– 1105 /08–अ0जि0अ0(भू0अ0),शा0सहा0परि0,लखनऊ, दिनांकः– 24/7/25

विज्ञप्ति

जनपद लखनऊ में उत्तर रेलवे के दिलकुशा–मल्हौर रेल सेक्शन के किमी0 1084/15–17 पर स्थित सम्पार संख्या–186 स्पेशल पर 02 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु ग्राम भरवारा की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" एवं "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार(उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016" के अनुसार सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट(Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना गिरी विकास अध्ययन संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक–01.07.2025 को हुयी लोक सुनवाई के कम में रिपोर्ट तैयार की गयी है। उक्त के कम मे अवगत कराना है कि प्रस्तुत रिपोर्ट के कम में बहु शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा–7 की उपधारा–2 में दिये गये प्राविधानों के कम में विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक–24.07.2025 के माध्यम सें दिनांक–26.07.2025 को अपराह्न 3:00 बजे भ्रमण हेतु निर्धारित की गयी है।

तद्नुसार सम्बन्धित/प्रभावित भू–स्वामी निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),
लखनऊ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1– महाप्रबन्धक(लखनऊ), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– गिरी विकास अध्ययन संस्थान, सेक्टर–ओ, अलीगंज, लखनऊ।
6– डा0 ए0के0 भारतीय, प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी(भू0अ0),
लखनऊ।